

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड
संघायक न्यायिक शोकड़
खोलामढाट, देहरादून

- 5 JAN 2012

विर्गत किया
कोड सं. 001

UTTARAKHAND

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

10AA 476505

प्ररूप-26

(नियम 4-क देखिए)

रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र।

मैं **सुरदार रुद्रानंद** पुत्र/मुत्री/पत्नी **अमृतजहां** आयु **52** वर्ष, जो **मिलसनो. A** का/की

निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/करती हूँ/शपथपत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

मेरे विरुद्ध माननीय न्यायालय में निम्न वाद लम्बित है:-

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ३१-५
- (ii) पुलिस थाना (थाने) ३१-५ जिला या जिले ३१-५ राज्य ३१-५
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण ३१-५ जिसके(जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है:- ३१-५
- (iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई है ३१-५

.2.

- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे— ११-५
-
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/है ११-५

2 मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):— ११-५

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं— ११-५
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है— ११-५
- (iii) पुलिस थाना (थाने) ११-५ जिला (जिले) ११-५ राज्य ११-५
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है— ११-५
- तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे— ११-५
-
- क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए है— ११-५

अभिसाक्षी

स्थानः— देहरादून।
के हस्ताक्षर
तारीखः—

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख

को सत्यापित किया।



अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Certified that the Deponent is identified by
the Deponent is identified by
Sworn & Verified the contents of
affidavit at _____ on 12-1-2011


ANITA
Advocate & Notary
Dehra Dun (U.K.)